

2021/956

प्रशासन कार्य विभाग अधिनियम-2021

FORM NO. III

कैम्प खरकडा

फर्द अहकाम

दिनांक 24/11/2021

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)


मिसल नम्बर :- 708/2021

किस्म प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

सोन्नाराम पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी नालपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>24/11/2021</u>	<p>प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत <u>खरकडा</u> में आयोजित कैम्प में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के पेश किया जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खेतड़ी से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जि. झुंझुनूं (राज.)</p>	

